

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 316

FP/UK/ROAD/37468/2018 दिनांक: देहरादून

31 जुलाई, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में होमगार्ड स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण हेतु परेड ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.812 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु होमगार्डस को प्रत्यावर्तन।

(Online proposal No FP/UK/ROAD/37468/2018)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का EDS दिनांक 17.12.2019

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 17.12.2019 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	सामान्य रूप से nonsite specific गतिविधि के लिए अनुमति दिया जाना संभव नहीं है। State Govt may examine the proposal in the light of para 1.15 of guidelines regarding non sites specific activity and submit all the required documents including proper justification for proposing area in Forest land, DM certificate for non-availability of non forest land etc.	Nonsite specific गतिविधि के लिए अनुमति हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र को Form A, के Part I के additional information में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-1)
2	The administrative approval submitted with the proposal is for residential/non residential purpose. The State Govt may submit the correct administrative approval for construction of ground for training.	संशोधित administrative approval को Form A, के Part I के additional information में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-2)
3	State Govt may fill all the details in component wise breakup at para B-2.4 part I online.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि component wise breakup को para B-2.4 संशोधन कर अपलोड कर दिया गया है।
4	State Govt may submit the layout plan of the proposal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त दस्तावेज का सही कर अपलोड कर दिया गया है।
5	State Govt may submit original copy of land Schedule duly countersigned by DFO after authenticating the correction made in it.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव की हार्ड कॉपी को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अद्योहस्ताक्षर करवाकर अपलोड कर दिया गया है।
6	Muck disposal plan, plantation scheme and geologist report are not found uploaded. State Govt may upload the disposal plan, plantation scheme geologist report as additional documents in part I.	बिन्दु संख्या 06 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना के निर्माण में उत्सर्जित होने वाले मलबे को भरण के रूप में योजनान्तर्गत ही उपयोग कर लिया जायेगा। अतः मक डिस्पोजल प्लान की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
7	Bar chart, tree enumeration list, FRA and work not start certificate not submitted in original. State Govt may submit original copy of bar chart, tree enumeration list, FRA certificate and work not start certificate to this office.	बिन्दु संख्या 07 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त दस्तावेजों को हार्ड कॉपी में प्रेषित कर दिया गया है एवं पार्ट I के additional information में अपलोड कर दिया गया है।
8	It is seen that justification of the proposal is not submitted in hard copy. State Govt may submit the original copy of justification to this office.	बिन्दु संख्या 08 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा justification को हार्ड कॉपी में प्रेषित कर दिया गया है।

		एवं पार्ट I में अपलोड कर दिया गया है।
9	It is seen that no comments have been made by DFO against para 6, part II State Govt may ensure that the comments of DFO have been made against "Brief note on vulnerability of the fores area to erosion" in part II online.	बिन्दु संख्या 09 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल श्रीनगर शहर में अलकनन्दा नदी के बहाव के निकट स्थित है। इस स्थल से सटे अन्य प्रयोजनों के मैदान आदि विद्यमान है। प्रस्तावित स्थल नदी की मुख्या धारा से लगभग 100 मी० की दूरी से स्थित है, चिन्हित क्षेत्र की सतह समुचित रूप से ठोस (Compact) है। नदी का बहाव इस स्थल से बचते हुए दक्षिण की ओर मुड़ता है और चिन्हित स्थल उसके सीधे बहाव से बचता है। चिन्हित स्थल के निकट कोई erosion स्थल भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। प्रस्तावित क्षेत्र विस्तृत रूप से लगभग समतल है तथा इस पर कुछ वृक्ष भी है, जिन्हे मूल प्रस्ताव में वर्णित किया गया है। अतः विषयगत क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल No erosion prone area है।
10	District profile details filled at para 14, Part II seems incorrect. State Govt may provide the correct information in district profile at para 14, Part II.	बिन्दु संख्या 10 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग द्वारा District profile पुनः पार्ट II के additional information details के क्रमांक 08 में अपलोड कर दी गयी है।
11	उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार प्रस्तावित भूमि पर क्या-क्या निर्माण कार्य किया जायेगा, इसका विवरण एवं प्लान भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	बिन्दु संख्या 11 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना का निर्माण होमगार्ड्स अकादमी श्रीनगर हेतु किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि पर अन्य कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना है। ले आउट प्लान को पार्ट I के additional information में अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न-यथोपरि।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी